

पंजीकरण पुस्तिका



मधुबन बापूधाम योजना अपनी जमीं अपना आसमान

मधुबन बापूधाम आवासीय भूखण्डों के आवंटन, ऑनलाईन पंजीकरण हेतु
आवेदन विवरण पुस्तिका (ब्रोशर)

ऑनलाईन पंजीकरण हेतु अवधि
दिनांक : 11 मई 2026 से 25 मई 2026 तक



www.edit

गजियाबाद विकास प्राधिकरण

आवेदन विवरण पुस्तिका

1.00 योजना का नाम— मधुबन बापूधाम आवासीय भूखण्ड योजना, गाजियाबाद

1.1 स्थल— मधुबन बापूधाम आवासीय भूखण्ड योजना, गाजियाबाद

2.00 योजना का कोड:

मधुबन बापूधाम आवासीय भूखण्ड योजना का कोड— 935

2.1 ऑनलाईन पंजीकरण की अवधि दिनांक : 11 मई 2026 से 25 मई 2026 तक

2.2 पंजीकरण हेतु पात्रता :-

- ✓ आवेदक भारत का नागरिक होना चाहिए।
- ✓ आवेदक की उम्र 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
- ✓ आवेदक अथवा उसके परिवार के किसी भी सदस्य के पास गाजियाबाद क्षेत्र में कोई भी सम्पत्ति एवं उत्तर प्रदेश में एक से अधिक आवासीय भवन/भूखंड, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण/आवास एवं विकास परिषद/अन्य सरकारी विभाग द्वारा आवंटित नहीं होनी चाहिए।

3.00 योजना में उपलब्ध भूखण्ड विवरण तालिका -1

योजना का नाम (1)	भूखण्डों का क्षेत्रफल (2)	भूखण्ड श्रेणी (3)	योजना कोड (4)	सम्पत्ति कोड (5)	भूखण्डों की संख्या (6)
मधुबन बापूधाम आवासीय भूखण्ड योजना	मधुबन बापूधाम (200 वर्ग मी0)	श्रेणी- A	935	730	24
	मधुबन बापूधाम (150 वर्ग मी0)	श्रेणी- B	935	735	49
	मधुबन बापूधाम (120 वर्ग मी0)	श्रेणी- C	935	738	24
	मधुबन बापूधाम (115 वर्ग मी0)	श्रेणी- D	935	739	12
	मधुबन बापूधाम (112.50 वर्ग मी0)	श्रेणी- E	935	740	44
	मधुबन बापूधाम (90 वर्ग मी0)	श्रेणी- F	935	750	60
	मधुबन बापूधाम (60 वर्ग मी0)	श्रेणी- G	935	760	61
	मधुबन बापूधाम (40 वर्ग मी0)	श्रेणी- H	935	770	76

नोट: भूखण्डों की संख्या बढ़ या घट सकती है।

3.1 स्थिति:

उक्त भूखण्ड प्राधिकरण के विकास क्षेत्र के मध्य स्थित है।

3.2 भूखण्डों का अनुमानित क्षेत्रफल :-

भूखण्डों का क्षेत्रफल तालिका सं0-01 के कॉलम सं0-02 में दर्शाया गया है। यह क्षेत्रफल भूखण्ड रजिस्ट्री/कब्जा के समय भिन्न हो सकता है। रजिस्ट्री के समय भूखण्ड का क्षेत्रफल आवंटन क्षेत्रफल से अधिक होने की दशा में अतिरिक्त क्षेत्रफल का मूल्य आदर्श कारस्टिंग गार्ड लाईन्स (मूलभूत सिद्धान्त) 25.12.2025 के अनुसार लिया जायेगा, आवेदक को स्वीकार करना होगा।

3.3 भूखण्डों की अनुमानित संख्या :-

भूखण्डों की संख्या, पंजीकरण राशि, भूखण्डों का क्षेत्रफल, भूखण्ड का मूल्य व अन्य जानकारी हेतु विवरण तालिका सं0-02 के (कॉलम-01 से 12 तक) में दर्शाया गया है। भूखण्डों की संख्या में बिना किसी पूर्व सूचना के परिवर्तन किया जा सकता है।

4.00 भूखण्डों का मूल्य एवं पंजीकरण धनराशि तालिका -2 :-

क्रम सं०	योजना का नाम	सम्पत्ति का प्रकार	योजना कोड	सम्पत्ति कोड	भूखण्ड श्रेणी	भूखण्ड का अनुमानित क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	आवंटन दर रु० (प्रति वर्गमीटर)	भूखण्ड का न्यूनतम आरक्षित मूल्य (रु० लाख में)	पंजीकरण धनराशि		भूखण्डों की संख्या
									(सामान्य श्रेणी) (10%)	(आरक्षित श्रेणी) ST/SC के लिये (5%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	मधुबन बापूधाम आवासीय भूखण्ड योजना	आवासीय भूखण्ड	935	730	A	200	35,000	70,00,000	7,00,000	3,50,000	24
2.			935	735	B	150	35,000	52,50,000	5,25,000	2,62,500	49
3.			935	738	C	120	35,000	42,00,000	4,20,000	2,10,000	24
4.			935	739	D	115	35,000	40,25,000	4,02,500	2,01,250	12
5.			935	740	E	112.50	35,000	39,37,500	3,93,750	1,96,875	44
6.			935	750	F	90	35,000	31,50,000	3,15,000	1,57,500	60
7.			935	760	G	60	35,000	21,00,000	2,10,000	1,05,000	61
8.			935	770	H	40	35,000	14,00,000	1,40,000	70,000	76

नोट : उपरोक्त दरों में फ्री-होल्ड शुल्क सम्मिलित नहीं है। भूखण्ड के मूल्य का 12% फ्रीहोल्ड शुल्क + जी0एस0टी0 अतिरिक्त देय होगा।

- 4.1 सामान्य वर्ग हेतु पंजीकरण राशि 10 प्रतिशत व आरक्षित वर्ग के लिए पंजीकरण धनराशि 5 प्रतिशत जमा करानी होगी।
- 4.2 तालिका-02, कॉलम सं०-07 में भिन्न-भिन्न क्षेत्रफल के भूखण्ड योजना के भिन्न-भिन्न पॉकेट में स्थित हैं, ड्रॉ के माध्यम से आवंटित किये जायेंगे, आवेदक को स्वीकार करना होगा। किसी विशेष पॉकेट के अन्तर्गत भूखण्ड आवंटन हेतु आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे।
- 4.3 सामान्य वर्ग आवेदक के पक्ष में भूखण्ड आरक्षण/आवंटन के पश्चात भूखण्ड मूल्य का 15 प्रतिशत, आरक्षित वर्ग के पक्ष में मूल्य का 20 प्रतिशत धनराशि आवंटन पत्र निर्गत होने की दिनांक से एक माह में जमा करानी होगी। अवशेष 75 प्रतिशत धनराशि SBI द्वारा घोषित वर्तमान MCLR+1% साधारण ब्याज की दर से 08 त्रैमासिक किश्तों में देय होगी।
- 4.4 यदि आवंटी द्वारा भुगतान विवरण/आवंटन पत्र के अनुसार देय किश्तों का भुगतान निर्धारित देय तिथि को नहीं किया जाता है तो देय तिथि से MCLR+1% + 2% (MCLR+1% + 2 प्रतिशत दण्ड ब्याज) ब्याज सहित देय किश्त का भुगतान करना होगा। 03 महीने की अवधि में भुगतान न करने की दशा में बिना किसी पूर्व सूचना के आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा। समय विस्तार के प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे।
- 4.5 कार्नर सम्पत्ति पर 05 प्रतिशत, पार्क फेसिंग में 05 प्रतिशत तथा 18 मीटर चौड़े रोड व उससे अधिक चौड़ी सड़क पर 05 प्रतिशत अतिरिक्त धनराशि देय होगी। यदि किसी सम्पत्ति में तीनों गुण होंगे तो उसका मूल्य सामान्य मूल्य से 12 प्रतिशत अधिक देय होगा।
- 4.6 आवंटित भूखण्ड का मूल्य 50 लाख से अधिक होने पर आयकर विभाग के नोटिफिकेशन के क्रम में सम्पत्ति की देय धनराशि का 01 प्रतिशत कटौती कर प्राधिकरण के स्थायी खाता (PAN No.- AAALG0072C) में जमा कर जमा धनराशि का टी0डी0एस0 प्रमाण पत्र रजिस्ट्री से पूर्व जमा करना होगा।

5.

छूट:

सम्पत्ति का आवंटन पत्र निर्गत होने के पश्चात पंजीकरण धनराशि को समायोजित करने के उपरान्त अवशेष मूल्य राशि को एक मुश्त भुगतान किये जाने की दशा में आवेदक को निम्नानुसार छूट प्रदान की जायेगी—

1. 45 दिन में जमा करने पर 6 प्रतिशत की छूट।
2. 60 दिन में जमा करने पर 5 प्रतिशत की छूट।
3. 90 दिन में जमा करने पर 4 प्रतिशत की छूट।

उदाहरणार्थ:—

आवंटी द्वारा जिस दिवस को पूर्ण धनराशि (फ्रीहोल्ड को छोड़कर) जमा की गयी है, उसे उसी दिवस की छूट अनुमन्य होगी। आवंटी द्वारा उपरोक्त छूट अपने स्तर से नहीं घटानी चाहिए। छूट की धनराशि को अन्तिम गणना के समय भूखण्ड मद की अन्य मदों में समायोजित किया जाना चाहिए।

6.

आवंटी/आवेदक की मृत्यु की दशा में:

यदि आवेदक द्वारा ऑन-लाईन पंजीकरण के उपरान्त आवेदक की मृत्यु हो जाती है, तो ऐसी दशा में मृतक आवेदक के उत्तराधिकारी/वारिस को आवश्यक अभिलेख उपलब्ध कराने पर जमा पंजीकरण राशि वारिस के खाते में हस्तान्तरित की जायेगी।

7.

आरक्षण:

7.1

उ०प्र० शासन द्वारा समाज के भिन्न-भिन्न वर्गों के आरक्षण सम्बन्धी शासनादेश के अनुसार विभिन्न वर्गों को आरक्षण अनुमन्य होगा, जिसका विवरण वर्तमान में निम्नानुसार है :-

क्र०सं०	वर्ग	प्रतिशत
1.	अनुसूचित जाति	21
2.	अनुसूचित जनजाति	02
3.	अन्य पिछड़ा वर्ग	27
4.	विधायक/सांसद व स्वतंत्रता संग्राम सेनानी	05
5.	सरकारी सेवकों तथा सुरक्षा सेवाओं के सेवारत कर्मचारी जिन्होंने 50 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो। (50 वर्ष की आयु का आधार आवेदन तिथि को माना जायेगा।)	05
6.	विकास प्राधिकरण/उ०प्र० आवास विकास परिषद, जल संस्थान, नगर महापालिका व स्थानीय निकाय, आवास बन्धु कार्यालय एवं नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के कर्मचारी	02
7.	भूतपूर्व सैनिक व उनके आश्रित	03
8.	वरिष्ठ नागरिक	10% हारिजेन्टल
9.	विकलांगों को शासनादेश संख्या-55/आठ-1-18-185 विविध/2010 दिनांक 15.05.2018 के अनुसार आरक्षण देय होगा।	5% हारिजेन्टल

- 7.2 सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा घोषित वृद्धजनों (60 वर्ष के ऊपर) हेतु राष्ट्रीय नीति के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही हेतु सम्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि सम्पत्तियों के निस्तारण में भी समाज के वृद्धजनों के लिए 10 प्रतिशत के आरक्षण की व्यवस्था कर दी जाये, परन्तु यह आरक्षण अलग से न होकर प्रत्येक श्रेणी के लिए उपलब्ध आरक्षण में से ही होगा। उदाहरण स्वरूप यदि वृद्ध व्यक्ति अनुसूचित जाति का है तो उस वर्ग के लिए निर्धारित 21 प्रतिशत के आरक्षण का 10 प्रतिशत वृद्धजनों के लिए उपलब्ध होगा। इस प्रकार यह आरक्षण हारिजेन्टल होगा।
8. अपरिहार्य परिस्थितियों में भूखण्डों की संख्या में परिवर्तन किये जाने का अधिकार उपाध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण गाजियाबाद के अधिकारों में निहित है। उपाध्यक्ष का निर्णय अन्तिम निर्णय मान्य होगा।
9. प्राधिकरण द्वारा आवेदक के पक्ष में भूखण्ड आवंटन के पश्चात यदि किसी भी परिस्थितियों में भूखण्ड विवादित होने का संज्ञान प्रकाश में आता है तो, ऐसी दशा में आवंटी की जमा धनराशि + MCLR की दर से साधारण ब्याज सहित जमा धनराशि का रिफण्ड कर दी जायेगी। वैकल्पिक भूखण्ड नहीं दिया जायेगा।
10. आवंटन:
- 10.1 लाटरी द्वारा आवंटन
समस्त श्रेणियों के भूखण्डों का आवंटन लाटरी ड्रॉ के माध्यम से किया जायेगा, जिसकी सूचना प्राधिकरण द्वारा राष्ट्रीय समाचार पत्र, स्थानीय समाचार पत्रों के माध्यम से जन-सामान्य को दी जायेगी। यदि अपरिहार्य कारणों से लाटरी ड्रॉ की तिथि में कोई परिवर्तन होता है, ऐसी दशा में भी राष्ट्रीय समाचार पत्र, स्थानीय समाचार पत्रों के माध्यम से सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन कराते हुए पुनः ड्रॉ किये जाने की सूचना प्रकाशित करायी जायेगी।
- 10.2 लाटरी का परिणाम सार्वजनिक रूप से प्राधिकरण के नोटिस बोर्ड एवं गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की वेबसाईट पर प्रदर्शित किया जायेगा।
- 10.3 लाटरी की तिथि के 15 कार्य दिवस के पश्चात् आवंटन पत्र प्राधिकरण की वेबसाईट <http://www.gdaghaziabad.in> अथवा रजिस्ट्रेशन पोर्टल से डाउनलोड किये जा सकेंगे। जो डिजीटली साइन्ड होंगे तथा पूर्ण रूपेण मान्य होंगे, पृथक से कोई आवंटन पत्र निर्गत नहीं किया जायेगा।
11. समर्पण/निरस्तीकरण एवं जमा धनराशि की वापसी:
- 11.1 किसी भी परिस्थिति में लाटरी ड्रॉ से पूर्व पंजीकरण धनराशि वापिस किये जाने का प्राविधान नहीं है। ड्रा से पूर्व पंजीकरण धनराशि वापसी के सम्बन्ध में उपाध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण गाजियाबाद का निर्णय अन्तिम होगा।

- 11.2 आवंटन के पश्चात असफल आवेदकों की पंजीकरण धनराशि पंजीकरण की अवधि समाप्त होने के माह को छोड़कर तीन माह में वापस किये जाने की स्थिति में कोई ब्याज देय नहीं होगा। असफल आवेदकों की पंजीकरण धनराशि तीन माह से अधिक समय के पश्चात वापस किये जाने की स्थिति में जमा की गई पंजीकरण धनराशि पर 4 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर से ब्याज देय होगा।
- 11.3 यदि कोई आवेदक आवंटन हो जाने के पश्चात अपने भूखण्ड को निरस्त कराकर धनराशि वापस लेना चाहता है तो पंजीकरण धनराशि का 20 प्रतिशत एवं देय जी०एस०टी० काटकर शेष धनराशि आवेदक को वापस की जायेगी।
- 11.4 यदि आवंटी द्वारा देय किश्त का भुगतान 03 माह तक जमा न करने अथवा लगातार 03 त्रैमासिक किश्तों का भुगतान न करने की दशा में भूखण्ड का आवंटन निरस्त करने का अधिकार प्राधिकरण को होगा।
12. तथ्यों का छिपाना:
यदि आवेदक द्वारा दिया गया कोई विवरण असत्य पाया जाता है या कोई महत्वपूर्ण बात छिपाई गई है तो उपाध्यक्ष गाजियाबाद विकास प्राधिकरण को यह अधिकार होगा कि आवंटन/निबन्धन/अनुबन्ध निरस्त कर दें तथा आवंटी द्वारा जमा की गयी सम्पूर्ण पंजीकरण धनराशि को जब्त कर ले। इसके लिए अन्य कानूनी कार्यवाही जो प्राधिकरण उचित समझे, की जा सकती है।
13. फ्री-होल्ड शुल्क:
प्राधिकरण द्वारा आवंटित भूखण्ड का निबन्धन फ्री-होल्ड भूमि के रूप में किया जायेगा। फ्री होल्ड शुल्क भूखण्ड मूल्य का 12 प्रतिशत की दर से देय होगा।
14. भूखण्ड का कब्जा:
14.1 आवंटन तिथि के 36 माह के पश्चात भूखण्ड का सम्पूर्ण मूल्य व अन्य देयों के भुगतान के पश्चात रजिस्ट्री कर आवंटी को भूखण्ड का कब्जा दिया जायेगा।
14.2 निबन्धन/अनुबन्ध इत्यादि में आने वाला समस्त व्यय आवंटी द्वारा स्वयं वहन किया जायेगा।
15. भूखण्ड को बन्धक रखने का प्राविधान:
आवंटी को गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की अनुमति/अनापत्ति से ऋण प्राप्त करने के लिए भूखण्ड बन्धक रखने का अधिकार होगा, जिसके लिये आवेदक को आवेदन करना होगा। ऋण लेने की दशा में भूखण्ड रजिस्ट्री से पूर्व ऋणदाता संस्था से अनापत्ति/अदेयता प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा।
16. कर/शुल्क आदि की देयता:
16.1 आवंटित भूखण्ड के सम्बन्ध में भारत सरकार/उ०प्र० सरकार, नगर निगम अथवा प्राधिकरण बोर्ड, अन्य किसी विभाग द्वारा लगाये गये समस्त कर आवंटी द्वारा देय होंगे।

- 16.2 योजना में भूखण्डों के निबन्धन के उपरान्त योजना को नगर निगम को हस्तगत होने तक अवस्थापना सुविधाओं के रख-रखाव हेतु प्राधिकरण अथवा उ०प्र० शासन द्वारा निर्धारित अनुरक्षण शुल्क जी.एस.टी. का भुगतान आवंटी को करना होगा।
- 16.3 भूखण्ड आवंटन के पश्चात यदि किसी मा० न्यायालय द्वारा भूमि अर्जन प्राविधानों के अन्तर्गत योजना के भूमि के मूल्य में कोई बढ़ोत्तरी की जाती है तो उसका भुगतान प्राधिकरण की माँग पर आवंटी को प्रथक से करना होगा।
17. अन्य सामान्य नियम एवं शर्तें:
- 17.1 योजना में प्रस्तावित 40 वर्ग मी० व 60 वर्ग मी० (एल०आई०जी०) श्रेणी में होने के कारण जिन आवेदकों की वार्षिक आय 03 लाख से 06 लाख तक है, आवेदन पत्र स्वीकार किये जायेंगे। आय प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी, (तहसीलदार) स्तर से निर्गत ही मान्य होगा। जिसे भूखण्ड आवंटन हेतु आवेदन के साथ संलग्न करना होगा। यदि किसी व्यक्ति की वार्षिक आय 06 लाख से अधिक है, वह 40 वर्ग मी०, 60 वर्ग मी० भूखण्ड आवंटन हेतु आवेदन करने के लिये पात्र नहीं होंगे, अर्थात् ऐसे आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे।
- 17.2 भूखण्डों की स्थिति, क्षेत्रफल एवं मूल्य अनुमानित है। विकास कार्यों के निष्पादन के फलस्वरूप इनमें परिवर्तन हो सकता है।
- 17.3 विकास कार्य/निर्माण कार्य पूर्ण होने के पश्चात गाजियाबाद विकास प्राधिकरण में अन्य प्रचलित शर्तें तथा समय-समय पर प्राधिकरण अथवा शासन द्वारा इनमें किये गये संशोधन/परिवर्तन/परिवर्धन लागू एवं मान्य होंगे।
- 17.4 किसी भी प्रकार के विवाद का परिक्षेत्र मा० न्यायालय गाजियाबाद उ०प्र० होगा।
- 17.5 भूखण्ड निरस्तीकरण के पश्चात भूखण्ड का पुनर्जीवन उसी आवासीय सम्पत्ति का किया जायेगा, जिस पर आवंटी द्वारा सम्पत्ति मूल्य का निरस्तीकरण से पूर्व 50 प्रतिशत धनराशि जमा की गयी हो। पुनर्जीवन वर्तमान मूल्य का 1 प्रतिशत लेकर किया जा सकेगा, आवश्यक धनराशि पुराने मूल्य पर ब्याज/अतिरिक्त ब्याज लेकर अथवा वर्तमान दर पर दोनों में जो अधिक हो, से किया जायेगा। पुनर्जीवन उसी सम्पत्ति का किया जायेगा, जो सम्पत्ति आवंटित थी। यदि आवंटित सम्पत्ति रिक्त नहीं है, तो पुनर्जीवन नहीं किया जायेगा। पुनर्जीवन निरस्तीकरण के तिथि के पश्चात 06 माह के अन्दर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर ही विचार किया जायेगा।
- 17.6 यदि लीज प्लान प्राप्त होने पर भूमि की मात्रा आवंटित क्षेत्रफल से बढ़ती है तो, बढ़े हुए क्षेत्रफल में आवंटित क्षेत्रफल से 10 प्रतिशत अधिक तक पुरानी दर से तथा उसके अतिरिक्त बढ़े हुए क्षेत्रफल की वर्तमान दर लगायी जायेगी।
- 17.7 भूखण्ड से भूखण्ड में परिवर्तन अनुमन्य नहीं होगा।
- 17.8 विकास प्राधिकरण अथवा आवास विकास परिषद में कार्यरत कर्मचारियों/अधिकारियों को आवंटित सम्पत्ति के वर्तमान मूल्य में 10 प्रतिशत की एक मुश्त छूट अनुमन्य होगी यह सुविधा पूरे सेवाकाल में एक बार ही दी जायेगी।
18. पंजीकरण एवं आवेदन प्रक्रिया:
- 18.1 पंजीकरण हेतु विवरण पुस्तिका दिनांक 11 मई 2026 से दिनांक 25 मई 2026 तक रू-1100/- (जी०एस०टी० सहित) का ऑनलाईन भुगतान कर प्राप्त की जा सकती है।

18.2 आवेदन आन लाइन के माध्यम से ही स्वीकार किये जायेंगे। गा०वि०प्रा० की वेबसाइट—
<http://www.gdaghaziabad.in> अथवा <https://janhit.upda.in> पोर्टल पर आवेदन फार्म भरा जायेगा। आवेदन फार्म के साथ निम्नलिखित अभिलेख अपलोड किये जायेंगे—

1. आवेदक/आवेदकों की फोटो
 2. आधार कार्ड
 3. पैन कार्ड
 4. स्कैन हस्ताक्षर
 5. आरक्षण श्रेणी का प्रमाण पत्र।
 6. पंजीकरण पुस्तिका में दिये गये प्रारूप पर शपथ पत्र की प्रति।
19. आवेदक द्वारा जिस नाम से आवेदन किया जा रहा है, उसी नाम का बैंक खाता विवरण में दिया जाये। आवंटन ड्रा में आवेदक असफल होने की दशा में पंजीकरण धनराशि दिये गये बैंक खाता में वापस कर दी जायेगी।
20. (i) आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन करते समय नाम व पता पूर्ण रूप से भरा जाना चाहिए। अपूर्ण अथवा गलत भरे गये आवेदन पत्र बिना सूचना के निरस्त कर दिये जायेंगे और उन्हें लाटरी ड्रा में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।
- (ii) शासनादेश के अनुक्रम में भूखण्डों का निबन्धन पति एवं पत्नी के नाम में संयुक्त रूप से किए जाने की व्यवस्था है। अतः विवाहित आवेदक द्वारा आवेदन पत्र में पति एवं पत्नी द्वारा संयुक्त रूप से आवेदन किया जा सकता है।
- (iii) संयुक्त नाम से प्रस्तुत किये गये आवेदन पत्र पर दोनों आवेदकों के स्कैन हस्ताक्षर अपलोड किये जायेंगे।
21. यदि किन्ही कारणवश आवंटन के पश्चात भूखण्ड दिया जाना सम्भव न हो तो धनराशि नियमानुसार, MCLR दर पर ब्याज सहित वापस कर दी जायेगी। आवंटित भूखण्ड का किसी भी प्रकार का समायोजन/विकल्प/परिवर्तन किया जाना सम्भव नहीं होगा।
22. जब तक योजना की सर्विसेज का हस्तान्तरण नगर निगम को नहीं किया जाता है तब तक उसका रख-रखाव गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा किया जायेगा। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा भूखण्ड आवंटियों से निम्नांकित अनुरक्षण शुल्क नियमानुसार वसूल किया जायेगा। अनुरक्षण शुल्क की दरें निम्नवत होंगी :-
1. आवासीय भूखण्ड रु०- 5.00 प्रति वर्गमीटर प्रतिमाह ।
 2. संस्थागत/कार्यालय के भूखण्ड रु०- 7.50 प्रति वर्गमीटर प्रतिमाह ।
 3. व्यवसायिक भूखण्ड रु०- 10.00 प्रति वर्गमीटर प्रतिमाह ।
 4. सामुदायिक सुविधायें/स्कूल रु०- 2.00 प्रति वर्गमीटर प्रतिमाह ।
 5. बहुमंजिले भवन/फ्लैट्स रु०- 10.00 प्रति वर्गमीटर प्रतिमाह (बिल्ट अप एरिया पर)।
 6. निर्मित दुकानें रु०- 20.00 प्रति वर्गमीटर प्रतिमाह ।
23. अन्य महत्वपूर्ण सूचना:
- 23.1 आवंटी द्वारा भूखण्डों का प्रयोग केवल आवासीय प्रयोजन के लिये ही किया जायेगा। इस हेतु आवेदन के साथ शपथ पत्र देना होगा।
- 23.2 आवंटन तक इस योजना की किसी भी शर्त में संशोधन का अधिकार उपाध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण का होगा तथा ऐसे संशोधन आवेदकों/आवंटियों को मान्य होंगे।

- 23.3 भूखण्डों का विक्रय जहाँ है, जैसा है, के आधार पर किया जायेगा।
- 23.4 आवंटी को विद्युत कनेक्शन व पानी का कनेक्शन सम्बन्धित विभागों से स्वयं के अपने खर्चे पर लेना होगा।
- 23.5 किसी भी विवाद की दशा में न्यायालय गाजियाबाद को ही अधिकार क्षेत्र प्राप्त होगा।
- 23.6 इस योजना से सम्बन्धित प्रत्येक मामले पर उपाध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण का निर्णय अन्तिम होगा।

(नन्द किशोर कलाल)

आई०ए०एस०

उपाध्यक्ष

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

गाजियाबाद।

उपरोक्त दरें आयकर विभाग के कास्ट इन्डेक्स के आधार पर प्रत्येक वर्ष पुनः निर्धारित की जायेगी।

शपथ पत्र का प्रारूप

(शपथ पत्र रू0 10/- के जनरल स्टैम्प पर नोटरी द्वारा प्रमाणित हो।)

Photo

मैं/हम श्री/श्रीमती
पुत्र/पुत्री/पत्नी/श्री.....आयु.....वर्ष,
निवासी.....

शपथ पूर्वक यह बयान करता/करती हूँ/करते हैं कि:-

1. मैं/हम भारत का नागरिक हूँ/हैं
2. मैं/हम किसी भी सदस्य के पास गाजियाबाद में कोई भी भवन/भूखण्ड एवं उ0प्र0 में एक से अधिक आवासीय भवन/भूखण्ड गाजियाबाद विकास प्राधिकरण/आवास एवं विकास परिषद/अन्य सरकारी विभाग द्वारा आवंटित नहीं है।
3. मैं/हम आवंटन की सभी शर्तों का पालन करूंगा/करूंगी/करेंगे यदि मेरे द्वारा किसी शर्त का उल्लंघन किया जाता है तो प्राधिकरण को यह अधिकार होगा कि मेरा आवंटन निरस्त कर दें और जमा धनराशि जब्त कर लें।
4. यदि भूमि अर्जन के प्रतिकर के सम्बन्ध में न्यायालय के आदेश द्वारा अथवा अन्य किसी न्यायिक प्रक्रिया में अपरिहार्य कारण से आवंटित भवन/भूखण्ड के मूल्य में वृद्धि होगी तो मैं उसका निर्धारित नियमों के अनुरूप भुगतान करूंगा/करूंगी।
5. मैं समयानुसार निर्धारित तिथियों से पूर्व देयों का भुगतान करूंगा/करूंगी। यदि मेरे द्वारा भुगतान में कोई विलम्ब किया जाता है एवं प्राधिकरण उक्त के कारण मेरा आवंटन निरस्त करता है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी एवं उपाध्यक्ष का निर्णय सर्वमान्य व अंतिम होगा।
6. आवेदन पत्र में मेरे द्वारा जो तथ्य दर्शाये गये हैं वह सभी तथ्य सत्य है, असत्य नहीं है। आवेदन पत्र में दर्शाये गये तथ्य असत्य पाये जाने पर प्राधिकरण को अधिकार होगा कि वह आवंटित भूखण्ड निरस्त कर दे एवं जमा राशि में नियमानुसार कटौती उपरान्त जमा राशि (मूल प्रपत्रों के समर्पण उपरान्त) वापस कर दें।
7. यह कि मैं मधुबन बापूधाम योजना के अन्तर्गत आवासीय भूखण्ड आवंटन हेतु पंजीकरण कराकर आवेदन कर रहा हूँ, यदि ड्रॉ में मुझे आवासीय भूखण्ड आवंटित हो जाता है तो प्राधिकरण के नियमानुसार मैं उसका उपयोग आवासीय भूखण्ड के रूप में प्रयोग करूंगा अन्य कोई उपयोग नहीं करूंगा। इस सम्बन्ध में प्राधिकरण की समस्त नियम व शर्तें मुझे मान्य होंगी।

घोषणा:-

- क. मैं/हम एतद् द्वारा यह घोषणा करता/करती हूँ/करते हैं कि मैंने/हमने पंजीकरण सम्बन्धी सभी शर्तों को पूर्ण रूप से पढ़ व समझ लिया है जो मुझे/हमें मान्य है।
- ख. उपरोक्त सभी सूचनाएं मेरी/हमारी जानकारी में सत्य हैं तथा कोई तथ्य छिपाया नहीं गया है। यदि कोई तथ्य अथवा सूचना असत्य या अपूर्ण पायी जाती है तो प्राधिकरण को पंजीकरण/आवंटन निरस्त करने का अधिकार होगा।
- ग. यदि मुझे/हमें भूखण्ड आवंटित नहीं होता है तो पंजीकरण धनराशि की वापसी अंकित बैंक विवरण में हस्तान्तरित कर दिया जाये।

हस्ताक्षर

ग. यदि मुझे/हमें भूखण्ड आवंटित नहीं होता है तो पंजीकरण धनराशि की वापसी अंकित बैंक विवरण में हस्तान्तरित कर दिया जाये।

स्थान:-

दिनांक:-

आवेदक/आवेदकों के हस्ताक्षर